कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 57: लेखक के विशेष (नैतिक) अधिकार

मूल प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II/GS-III: बौद्धिक संपदा, रचनात्मक अधिकार और कानून
प्रकाशन: 27 नवंबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

AI-सहायता से लेखन, प्रकाशन और रचना के श्रेय पर चल रही बहस में एक कानूनी प्रश्न बार-बार उठता है: कोई रचना बेच दी जाए या उसका कॉपीराइट किसी और को दे दिया जाए, तब भी क्या लेखक के पास कुछ अधिकार बचते हैं? भारतीय कानून में इसका आधार कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 57 है। यह लेख केवल उस धारा का परीक्षा-उपयोगी स्पष्टीकरण है। यह किसी विशेष पुस्तक या विवाद पर निर्णय नहीं देता।

धारा 57 क्या कहती है

धारा 57 का शीर्षक "लेखक के विशेष अधिकार" है। इसे सामान्यतः नैतिक अधिकार (moral rights) कहा जाता है। धारा के अनुसार लेखक के पास दो अधिकार हैं:

1. **लेखकत्व का दावा:** रचना का लेखक होने का दावा करने का अधिकार (धारा 57(1)(क))।
2. **अखंडता की रक्षा:** रचना के विरूपण, विकृति, संशोधन या अन्य ऐसे कार्य को रोकने, या उसके लिए हर्जाना माँगने का अधिकार, यदि वह कार्य लेखक के सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो (धारा 57(1)(ख))।

आर्थिक कॉपीराइट से अंतर

धारा की शुरुआत ही इस शर्त से होती है कि ये अधिकार "लेखक के कॉपीराइट से स्वतंत्र" हैं और कॉपीराइट पूर्ण या आंशिक रूप से सौंप दिए जाने के बाद भी रहते हैं। यानी:

- आर्थिक कॉपीराइट: प्रकाशन, प्रतिलिपि, अनुवाद जैसे उपयोग से कमाई का अधिकार। इसे अनुबंध से सौंपा जा सकता है।
- नैतिक अधिकार: लेखक के नाम और रचना की प्रतिष्ठा से जुड़े। असाइनमेंट के बाद भी इनका अस्तित्व बना रहता है।

कानूनी प्रतिनिधि

धारा 57(2) के अनुसार उप-धारा (1) के अधिकार लेखक के कानूनी प्रतिनिधि भी प्रयोग कर सकते हैं। सावधानी रखें: इस धारा के पाठ से यह नहीं निकलता कि सभी नैतिक अधिकार कॉपीराइट की अवधि समाप्त होते ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा सामान्यीकरण परीक्षा-उत्तर में न लिखें; सटीक भाषा यह है कि धारा लेखक के अलावा उसके कानूनी प्रतिनिधियों को भी अधिकार प्रयोग की अनुमति देती है।

सीमाएँ और स्पष्टीकरण

- **कंप्यूटर प्रोग्राम का अपवाद:** धारा 52 की उप-धारा (1) के खंड (aa) के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुकूलन (adaptation) के लिए लेखक को रोकने या हर्जाना माँगने का अधिकार नहीं है।
- **प्रदर्शन संबंधी स्पष्टीकरण:** किसी रचना को प्रदर्शित न करना, या लेखक की संतुष्टि के अनुसार प्रदर्शित न करना, इस धारा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
- **हर संशोधन अपने-आप उल्लंघन नहीं:** अखंडता का अधिकार तभी बनता है जब कार्य लेखक के सम्मान या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो।

AI और रचना के संदर्भ में

AI-सहायता से बनी रचनाओं में योगदान की घोषणा और मानव जवाबदेही का प्रश्न हमारे लेख AI और कहानी: सहायता, लेखकीय योगदान और पाठक का भरोसा में है। वह नैतिक-नीतिगत चर्चा है; धारा 57 का सीधा संबंध केवल उस लेखक से है जो कानून में "लेखक" है। किसी विशेष मामले में कौन लेखक है और क्या कार्य प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, यह तथ्यों और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

परीक्षा के लिए याद रखें

- धारा 57 = लेखक के विशेष अधिकार (कॉपीराइट अधिनियम 1957, अध्याय 12)।
- दो अधिकार: लेखकत्व का दावा; प्रतिष्ठा-विरोधी विरूपण आदि को रोकना या हर्जाना।
- कॉपीराइट से स्वतंत्र; असाइनमेंट के बाद भी।
- कानूनी प्रतिनिधि प्रयोग कर सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में इन्हें "moral rights" कहा जाता है; अधिनियम का शीर्षक "विशेष अधिकार" है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 57 के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

(a) ये अधिकार कॉपीराइट सौंपते ही समाप्त हो जाते हैं

(b) लेखक लेखकत्व का दावा कर सकता है और प्रतिष्ठा-हानिकारक विरूपण के विरुद्ध कार्रवाई माँग सकता है

(c) कानूनी प्रतिनिधि इन अधिकारों का प्रयोग कभी नहीं कर सकते

(d) ये केवल आर्थिक लाभ के अधिकार हैं

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

व्याख्या: धारा 57(1) कॉपीराइट से स्वतंत्र रूप से, असाइनमेंट के बाद भी, दोनों अधिकार देती है; 57(2) कानूनी प्रतिनिधियों को प्रयोग की अनुमति देती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

रचनात्मक कार्यों में लेखक के नैतिक अधिकारों और आर्थिक अधिकारों का अंतर समझाइए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: कॉपीराइट अधिनियम 1957 और धारा 57 का परिचय।

मुख्य भाग में: दो अधिकार; आर्थिक कॉपीराइट से स्वतंत्रता; असाइनमेंट के बाद भी अस्तित्व; कानूनी प्रतिनिधि; कंप्यूटर प्रोग्राम का अपवाद और प्रदर्शन संबंधी स्पष्टीकरण।

निष्कर्ष में: रचना के आर्थिक उपयोग और लेखक की पहचान व प्रतिष्ठा के बीच संतुलन।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

धारा 57 के अधिकार किसे मिलते हैं?

रचना के लेखक को; उसके कानूनी प्रतिनिधि भी उप-धारा (1) के अधिकार प्रयोग कर सकते हैं (धारा 57(2))।

क्या कॉपीराइट बेच देने के बाद भी ये अधिकार रहते हैं?

हाँ। धारा के अनुसार ये अधिकार कॉपीराइट से स्वतंत्र हैं और पूर्ण या आंशिक असाइनमेंट के बाद भी रहते हैं।

क्या हर संशोधन पर आपत्ति की जा सकती है?

नहीं। अधिकार तब बनता है जब विरूपण, विकृति, संशोधन या अन्य कार्य लेखक के सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो।

क्या यह लेख किसी विशेष पुस्तक के विवाद का निर्णय करता है?

नहीं। यह केवल कानून के पाठ की व्याख्या है। किसी विशेष मामले के लिए तथ्य और अदालती आदेश देखने होंगे।

संबंधित लेख

AI और कहानी: सहायता, लेखकीय योगदान और पाठक का भरोसा

स्रोत

1. कॉपीराइट अधिनियम 1957, धारा 57, IP India (भारत सरकार)
2. कॉपीराइट अधिनियम 1957, धारा 57, India Code
3. कॉपीराइट अधिनियम 1957 (पूर्ण पाठ), कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार

यह सामान्य शैक्षिक जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं।

pcsmantra.com